मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004

क्रमांक एफ 892/सी.सी./2020/अडतीस भोपाल, दिनांक 23/12/2020

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिला, मध्यप्रदेश

विषयः– सत्र 2020–21 में समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में भौतिक रूप से विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ अध्यापन व्यवस्था आरंभ करने विषयक।

संदर्भः–(1)गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 30.09.2020
(2)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–14–8/2020 (सीपीपी–II) दिनांक 05 नवम्बर 2020

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 14/12/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशो के परिपालन में सत्र 2020–21 में समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में दिनांक 20/01/2021 से विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियाँ आरंभ करने के संबंध में अभिमत प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

कृपया संबंधित जिले की "आपदा प्रबंधन समूह" की बैठक बुलाई जाकर तत्संबंध में जिले में कोविड–19 के अंतर्गत परिस्थितियों की सम्यक समीक्षा करते हुए उचित निर्णय लिया जाकर, तदानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध है।

23-12-2020
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांकः 893/सी.सी./2020/अडतीस भोपाल, दिनांक 23/12/2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल जी, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
4. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफिसर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

23-12-2020
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग